न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 101 / 2016 जिला दौसा

1. मु. रामप्यारी बेवा शंकर लाल जाति मीणा, निवासी चक चांदपुर, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
2. मु. भगोती पुत्री शंकर लाल पत्नि श्रीराम
3. मु. कैलाशी पुत्री शंकर लाल पत्नि पप्पू
   जाति मीणा, निवासी कृषि मण्डी के पीछे ढाणी हट्टीका लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. लल्लू पुत्र बिरदा
2. कालू पुत्र भोर्या
   जाति मीणा, निवासी चक चांदपुर, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 8.4.2015

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री राजवीर सिंह
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री पुरूषोतम शर्मा

निर्णय

दिनांक – 6.12.2017

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी , लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 8.4.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम चक चांदपुर, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 139/106 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 119 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा हिस्सा 1/6 व खसरा किता 5 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/4 का खातेदार शंकर पुत्र धन्ना कौम मीना था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 194 पटवारी हल्का द्वारा रामप्यारी पत्नि स्व. शंकर , भागोती , कैलाशी पुत्रियॅा शंकर के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत नयाबास द्वारा दिनांक 20.1.2011 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट लल्लू पुत्र बिरदा व लालू पुत्र भौर्या रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 20.1.2011 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को वारिसान की विधिवत जॅाच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 8.6.2015 के खिलाफ मृतक खातेदार शंकर लाल की बेवा मु. रामप्यारी व पुत्रियॅा भगोती व कैलाशी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 20.10.2015 को

मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार शंकर लाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट्स मृतक की विधवा एवं पुत्रियों के नाम स्वीकार किया था जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट लल्लू पुत्र बिरदा वगैहरा की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्रम पंचायत पालूँदा में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये स्वीकार कर नामांतरकरण खारिज किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि मृतक शंकर लाल के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी केवल अपीलान्ट्स ही मृतक की विधिक वारिसान हैं जिनके नाम ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं होने के बावजूद भी नामांतरकरण खारिज करते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर अपीलान्ट्स को बिना कारण परेशान होने व तहसील कार्यालय में चक्कर काटने को मजबूर किया है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें दिनांक 1.10.2015 को हुई ओर आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है । अतः विलम्ब को क्षमा कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट्स के पति व पिता स्व. शंकर लाल एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । शंकर लाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में आवश्यक था । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष एक वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिनांक 18.1.2011 को विवादग्रस्त आराजी के अभिलेख की स्थिति यथावत रखने एवं विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करवाई थी जिससे अपीलान्ट्स प्रतिबन्धित थे, लेकिन इसके बावजूद भी दिनांक 20.1.2011 को प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक हुआ है, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना में तस्दीक होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि माननीय राजस्व मण्डल एवं अन्य न्यायालयों द्वारा अनेकों निर्णयों में अभिमत व्यक्त किया है कि यदि पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन हो ओर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित हो तो नामांतरकरण संबंधी फिसकल प्रोसीडिंग वाद के निर्णय तक स्थगित रखना चाहिये ताकि पक्षकारों में आवश्यक मुकमेबाजी न बढे । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं है क्योकि वर्ष 1995 में ही अपीलान्ट केशरी देवी द्वारा भूमि विक्रय करदी थी । अपीलान्ट्स नामांतरकरण के आधार पर भूमि विक्रय कर अनुचित लाभ उठाना चाहती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते

हुये रेस्पोंडेन्ट्स की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त किया है तथा वारिसान की विधिवत रूप से जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रकरण के गुणावगुण एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के दृष्टिगत विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार शंकर लाल की विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार शंकर लाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक खातेदार शंकर लाल की विधवा एवं पुत्रियॅा अपीलान्ट्स क्रमशः मु. रामप्यारी बेवा शंकर लाल, मु. भगोती पुत्री शंकर लाल व मु. कैलाशी पुत्री शंकर लाल के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोडेन्ट लल्लू वगैहरा द्वारा विवादित भूमि अपीलान्ट्स के पति व पिता स्व. शंकर लाल एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से ग्रम पंचायत द्वारा उन्हें बिना सुने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये जाने से प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.6.2015 राजस्व लोक अदालत कैम्प पालून्दा में पारित कर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 20.1.2011 निरस्त किया गया एवं प्रकरण वारिसान की विधिवत रूप से जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार रामगढ पचवारा को प्रतिप्रेषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स को बिना सुने व उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकपक्षिय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट लल्लू वगैहरा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति चाही गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई अभिमत अपीलाधीन आदेश मे अंकित नहीं किये । यहॅा प्रकरण मृतक खातेदार शंकर की विरासत का है और रेस्पोंडेन्ट लल्लू वगैहरा मृतक खातेदार शंकर के वारिस है या नहीं, के संबंध में भी अपीलाधीन आदेश में काई अभिमत अंकित नहीं किया । इतना ही अपीलाधीन आदेश आदेशिका पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से पारित किया है , जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ, विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किय जाने योग्य है तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्तानुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनाक 8.4.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्तानुसार विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः स्पीकिंग निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है । यहॅा यह भी

उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि के संबंध में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी हो तो उसको भी दृष्टिगत रखा जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर